कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मथुरा

पत्रांक 2785/C1

दिनांक :– 24/11/2020

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक
ड्रैनेज एवं सीवरेज इकाई,
उ0प्र0 जल निगम, कृष्णा नगर
मथुरा।

विषय :– गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के अन्तर्गत ग्राम आन्यौर, जतीपुरा एवं राधाकुण्ड देहात में स्टोर्म वाटर ड्रैनेज के निर्माण के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– आपका पत्रांक 1531/गोवर्धन ड्रैनेज/89 दिनांक 18.11.2020

उपरोक्त विषयक गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के अन्तर्गत ग्राम जतीपुरा एवं राधाकुण्ड देहात में स्टोर्म वाटर ड्रैनेज हेतु मा0 ए0जी0टी0, दिल्ली के आदेशानुसार उक्त ग्रामों में प्रस्तावित पूर्व से बनी नालियों के स्थान पर ही नया नाला का निर्माण कराये जाने हेतु सडक काटने एवं सडक को यथास्थिति पूर्ववतः बनाये जाने हेतु अनुमति चाही गई है। उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :–

1. मार्ग कटिंग करने से पूर्व विभाग को सूचित किया जाये। नालों की ड्राइंग कार्य से पूर्व इस खण्ड से अनुमोदित करानी होगी।
2. मार्ग कटिंग के उपरान्त मार्ग को पूर्व स्थिति में कर दिया जाये। मार्ग को पूर्व स्थिति में आने के बाद लोक निर्माण विभाग के संबंधित सहायक अभियंता द्वारा मार्ग का निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण आख्या संतोषजनक प्राप्त होने के उपरान्त ही आपकी एफ0डी0आर0 वापिस की जायेगी।
3. मार्ग पर कार्य कराये जाने के दौरान मार्ग पर संचालित यातायात वाहनों के आवागमन को दृष्टिगत रखते हुए'' पर्याप्त सुरक्षा मानकों के अनुरूप किया जाये ताकि भारी यातायात के कारण मार्ग को क्षति न हो। साथ–साथ किसी दुर्घटना आदि की सम्भावना भी न रहे।
4. यदि किसी भी प्रकार की शिथिलता के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त होता है अथवा कोई दुर्घटना होती है तथा कार्य करते समय भी कोई दुर्घटना होती है तो सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
5. व्यवहारिक रूप से यह देखा गया है कि ठेकेदार/कार्यदायी विभाग द्वारा मार्ग कटिंग के उपरान्त मिट्टी आदि की भराई का कार्य वांछित घनत्व तक कॉम्पेक्शन न करने के कारण खोदे गये भाग में क्रमशः सेटलमेन्ट होता रहता है। कम चौड़ाई में खुदाई होने के कारण भारी वाइब्रेटरी रोलर आदि का प्रयोग सम्भव नहीं हो पाता है तथा छोटे रोलर व अन्य उपकरणों से वांछित घनत्व प्राप्त नही हो पाता है। फलस्वरूप मार्ग का खोदा गया भाग कई चरणों में सेटेल होता रहता है। अतः उचित होगा कि खोदे गये भाग को फाइन सैण्ड लेयर में पानी ऊपरी सतह तक भरा जाये तथा वांछित घनत्व तक कॉम्पेक्शन किया जाये। यदि फिर भी कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता के कारण कोई सेटेलमेन्ट होता है तो यथास्थिति बहाल होने तक चरणबद्ध क्रम से मार्ग की मरम्मत का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
6. मार्ग पर पुलिया डालने का कार्य किये जाने के समय यातायात बाधित नहीं होना चाहिए तथा यातायात के सुचारू व सुरक्षित रूप से आवागमन हेतु पर्याप्त बेरीकेडिंग, रेट्रो रिफलेक्टिव साइनबोर्ड व डायवर्जन की व्यवस्था आपके स्तर से की जायेगी।

क्रमशः पेज–2 पर.....

23/11/2020
योगेश कुमार शर्मा
परियोजना प्रबन्धक
ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई
उ0 प्र0 जल निगम मथुरा

8. यदि किसी अन्य विभाग से अनुमति की आवश्यकता होती है तो वो अपने स्तर से लेनी होगी।

9. उपरोक्त शर्तों के अनुसार कार्य अनुमति जारी करने की तिथि से केवल 03 माह के लिए मान्य होगी। 03 माह में ही कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

10. उपरोक्त शर्तों के अनुसार कार्य न करने पर यह अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.,
मथुरा

पत्रांक

दिनांक :–

1. प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता, चतुर्थ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि अवर अभियन्ता (प्रा.)/खण्डीय अमींन को रिकॉर्ड हेतु।

15/1/2020
योगेश कुमार शर्मा
परियोजना प्रबन्धक
सेनेज एवं सीवरेज इकाई
उ0प्र0 जल निगम मथुरा

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.,
मथुरा